"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7.—चूंकि दिनांक 17-18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एड़समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य मुठभेड़ की घटना की सूचना प्राप्त हुई है;

2. चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की न्यायिक जांच किया जाना आवश्यक है;

(1) क्या 17-18 मई, 2013 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एड़समेटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई ?

(2) उक्त घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई ?

(3) क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ ?

(4) यदि उक्त घटना में सुरक्षा बलों के सदस्य मृत या घायल हुए हैं तो सुरक्षा बलों के ऐसे सदस्य किन परिस्थितियों में मृत या घायल हुए हैं ?

(5) यदि सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति (महिला/पुरुष/बच्चा) मृत या घायल हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति किन परिस्थितियों में घटना स्थल पर या उसके आसपास उपस्थित थे ?

(6) क्या गश्त प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वोपाय किये गये तथा आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की गई ?

(7) वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी ? क्या फायरिंग से बचा जा सकता था ?

(8) भविष्य के लिए सुझाव."

3. चूंकि राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7, दिनांक 11-07-2012 द्वारा जिला बीजापुर के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के ग्राम सिलगेर एवं चिमली पेंटा में घटित घटना दिनांक 28-29 जून, 2012 की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, जिसके द्वारा जांच प्रगति पर है, चूंकि वर्तमान घटना भी जिला बीजापुर की है एवं राज्य शासन की यह राय है कि उपर्युक्त सार्वजनिक महत्व के विषयों की जांच शीघ्र कराया जाना आवश्यक है;

4. अत: जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व को विशेष जांच पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा गठित जांच आयोग को सौंपता है. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से यथासम्भव 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

5. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिंदुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा. आयोग की सचिवालयीन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.